न्यायालय विशेष न्यायाधीश (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986)/अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 09, जिला आगरा।
उपस्थित : विवेक कुमार–प्रथम (एच.जे.एस.)
(जे.ओ.कोड नम्बर यू पी 2415)

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2671 सन् 2026

गौरव पुत्र सुरेन्द्र सिंह, निवासी लोह सिंघानी, पोस्ट घेंघोला लोह सिघानी, थाना सदर सोहना, जिला गुडगांव हरियाणा। .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोगी

धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह
बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप
(निवारण अधिनियम), 1986
मु0अ0सं0 196 सन् 2026
थाना सिकन्दरा, जिला आगरा।

दिनांक 15.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त गौरव की ओर से मु0अ0सं0 196 सन् 2026, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम), 1986, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के भाई/पैरोकार सौरभ सिंह की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी भी न्यायालय में न तो प्रेषित किया है और न ही विचाराधीन है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे थाना सिकन्दरा, आगरा पुलिस ने अपने गुडवर्क दिखाने के लिये और उच्च अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिये झूठा अपराध अभियुक्त पर सृजित कर दिया गया है। उसने किसी भी व्यक्ति से अवैध धन वसूली या ऐसा कोई अपराध नही किया है जिससे उसने अवैध धन संग्रह किया हो। उस पर पुलिस थाना अछनेरा आगरा ने वर्ष 2024 में अ0सं0 92 सन् 2024 धारा 379, 411/34 आई०पी०सी० का अपराध मे झूठा निरूद्ध किया था जिसमें सत्र न्यायालय, आगरा ने दिनांक 13.06.2024 को जमानत स्वीकार कर ली है। उसने सत्र न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी जमानत आदेश दिनांक 13.06.2024 का कोई भी दुरुपयोग नही किया है। पुलिस थाना सिकन्दरा नें अभियुक्त गौरव की गिरफ्तारी सींगना मोड पर से करना दिखाया है वह झूठ है और उससे जामातलाशी में 100/– रुपये बरामद होना बताया है, जो कि गलत है जबकि हरियाण से आगरा आने जाने के लिये किराये भी करीब हजार रुपये खर्च हो जाते है। अभियुक्त को दिनांक 29.05.2026 को बल्लभगढ बस स्टेण्ड के पास से करीब शाम 6 बजे गिरफ्तार किया है जब अभियुक्त अपनी कम्पनी से घर बापस लौट रहा था। उसकी पत्नी श्रीमती मन्जू के पेट में बच्चे की मृत्यु हो गयी थी जिससे उसका पेट का बडा ऑपरेशन दिनांक 23.05.2026 को सौमोती हॉस्पीटल सीकर पलवल मे हुआ था। वह एक प्राइवेट कम्पनी में काम कर अपना जीवन यापन कर रहा है। अपराध सं0 92 सन् 2024 थाना अछनेरा आगरा से पूर्व उसका कोई आपराधिक इतिहास नही था और न ही उसके बाद उसने कोई अपराध कारित किया

है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

संक्षिप्त में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि पुलिस बल, आगरा गस्त/भ्रमण थाना क्षेत्र के दौरान निम्नलिखित अभियुक्तगण के बारे में जानकारी की गयी तो गैंग लीडर 1. प्रहलाद पुत्र जल सिंह निवासी ग्राम सुरौठी थाना अछनेरा आगरा व उसके सदस्य 2. धीरज कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम डावली थाना किरावली जनपद आगरा 3. राममोहन सोलंकी पुत्र महावीर सोलंकी निवासी ग्राम नानपुर थाना किरावली जनपद आगरा 4. बलदाऊ पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम तुरकिया थाना अछनेरा आगरा 5. गौरव पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी लोह सिधानी थाना सदर सोहना जिला गुरूग्राम हरियाणा 6. देवेन्द्र पुत्र नवल सिंह निवासी तुरकिया थाना सिकन्दरा आगरा 7. रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र शंकरलाल उर्फ उमाशंकर शर्मा निवासी तुरकिया थाना अछनेरा आगरा द्वारा एक साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय हैं जो अपने तथा संगठित गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध धनोपार्जन कर अनुचित आर्थिक/भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु बन्द स्थानो मे चोरी जैसा अपराध कारित करते है तथा अभियुक्तगण का समाज में भय व आतंक है व सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया तथा लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गयी है। गिरोह के गैगलीडर प्रहलाद व उसके सदस्य धीरज कुमार, राम मोहन, बलदाऊ, गौरव, देवेन्द्र, रवि उर्फ रविन्द्र द्वारा प्राप्त जमानत का उलंघन कर अपराध कारित किया है गैंगलीडर प्रहलाद व उसके सदस्य धीरज कुमार, राम मोहन, बलदाऊ, गौरव, देवेन्द्र, रवि उर्फ रविन्द्र जमानत पर रिहा है जिनके द्वारा थाना क्षेत्र व जनपद में अन्यत्र बन्द स्थानो मे चोरी आदि जैसी घटनाओ को अंजाम देने की पूर्ण संम्भावना है इनके विरुद्ध जनता का कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता है तथा इस गिरोह की सक्रियता जनपदीय है उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कार्य गिरोहवन्द अधिनियम की धारा 2 (ख) की उप धारा (एक) में आता है जो धारा 3 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिनका आपराधिक मुन्जर्जा गैंग चार्ट है अतः गैगलीडर प्रहलाद व उसके सदस्य धीरज कुमार, राम मोहन, बलदाऊ, गौरव, देवेन्द्र, रवि उर्फ रविन्द्र उपरोक्त का गैंग चार्ट तैयार कर श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा महोदय व उच्चाधिकारीगण के कार्यालय से गैंगचार्ट अनुमोदित कराया गया है अनुमोदितशुदा गैंग चार्ट के अनुसार उपरोक्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत करें। उक्त सूचना के आधार पर उपरोक्त सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना सिकन्दरा, जनपद आगरा पर मु0अ0सं0 0196 सन् 2026 अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण अधिनियम), 1986 में अभियोग पंजीकृत हुआ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया। उसे झूठा फंसाया गया है। उसे एक मुकदमा दर्शाता हुये गैंग का सक्रिय सदस्य दर्शाया गया है, वह किसी भी सक्रिय गैंग का सदस्य नहीं है न ही गैर कानूनी कार्य करता है। वह बहुत ही निर्धन परिवार से है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह तर्क किया गया है कि आवेदक एक संगठित आपराधिक गिरोह का सदस्य है। सामूहिक रूप से रात्रि में घरों में घुसकर ताला तोड़ कर चोरी/नकबजनी आदि जैसे जघन्य अपराध किये जाते हैं। समाज में इनका भय व आतंक व्याप्त है। वह आदतन अपराधी है। उसके द्वारा गैंग सदस्यों के साथ मिलकर समाज विरोधी गम्भीर अपराध किये जाते है, अभियुक्त के विरूद्ध अनुमोदित गैंग चार्ट दाखिल है। पत्रावली पर उपलब्ध **गैंग चार्ट के अनुसार** आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त के **कुल 01 मुकदमा** पंजीकृत

होना बताया गया है जिसमें में गैंगस्टर किया जाना बताया गया है, जो निम्नलिखित हैं—1. मु0अ0सं0 382 सन् 2025, धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0, थाना सिकन्दरा, आगरा। **उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 19(4)** में प्रावधान है कि उक्त अपराध के अन्तर्गत यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जायेगा जब तक किः— **(क)** लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता है और **(ख)** जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहॉ न्यायालय का समाधान हो जाये कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है। निर्णयज विधि **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणी त्रिपाठी (2005) 8 एस0सी0सी0 21** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत पर विचार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है— 1. क्या प्रथमदृष्टया अथवा युक्तियुक्त आधार हैं जिससे यह विश्वास हो सकता हो कि आरोपी ने अपराध किया है, 2. आरोपी की प्रकृति और गम्भीरता, 3. दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गम्भीरता, 4. जमानत पर रिहा होने पर आरोपी के फरार होने या भाग जाने का सम्भावना, 5. आरोपी का चरित्र, व्यवहार, साधन, पद और प्रतिष्ठा, 6. अपराध के पुर्नवर्ति की सम्भावना, 7. साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किये जाने की युक्तियुक्त सम्भावना, 8. जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से न्याय दिये जाने में बाधा। इसी प्रकार निर्णयज विधि **कल्याण चन्द्रा सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (2004) 7 एस0सी0सी0 527** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र पर विचार करते समय मामले की अन्य परिस्थितियों के साथ साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विचार किया जाना आवश्यक है— 1. आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गम्भीरता तथा सुसंगत साक्ष्यों की प्रकृति, 2. साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त सम्भावना।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त एक संगठित गिरोह का सदस्य है। गैंगचार्ट के अनुसार आवेदक के विरुद्ध अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अपराध में संलिप्त होकर अनुचित आर्थिक/भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु रात्रि में घरों में घुसकर ताला तोड़ कर चोरी/नकबजनी आदि जैसे गंभीर अपराध कारित करने का आरोप है। थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। फरार होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध गैंग चार्ट के अनुसार कुल 01 मुकदमा पंजीकृत हैं। जिससे प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि आवेदक "गैंग" का सदस्य है जो उसके आदतन अपराधी होने की ओर संकेत करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि आवेदक की अपराधों में सक्रिय सहभागिता परिलक्षित होती है, वह मात्र औपचारिक सदस्य नहीं, बल्कि संगठित गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त रहा है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किये जाने की स्थिति में उसके पुनः अपराध में संलिप्त होने की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा उसका गिरोह में संलिप्ता के दृष्टिगत यह आशंका युक्तियुक्त है कि वह गवाहों को भयभीत/प्रभावित कर सकता है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अभियोजन का मामला प्रथम दृष्टया स्थापित होता है और आरोपों की सत्यता के समर्थन में पर्याप्त आधार विद्यमान है। यद्यपि व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, तथापि संगठित अपराध के मामलों में सामाजिक हित को वरीयता दी जानी आवश्यक है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध गैंग चार्ट में दर्शाये गये मुकदमे की प्रकृति, अपराध की गम्भीरता अभियुक्त का अन्य आपराधिक इतिहास एवं उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द व समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 19(4) में वर्णित प्रावधान को

दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने के उचित आधार प्रकट नहीं होता हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त गौरव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

(विवेक कुमार–प्रथम)

दिनांकः 15.06.2026

विशेष न्यायाधीश (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 09, जिला आगरा।
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 2415